न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2025/201

01. महेन्द्र शर्मा पुत्र ईशरराम जाति ब्राह्मण निवासी 66 आरडी गंगाजली तहसील पूगल हाल चक 14 बीएलडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

........वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला/दन्तौर ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट
निर्णय दिनांक :—03.02.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी ने चक 14 बीएलडी बी मु0नं0 94/38 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 3.6417 हैक्टर भूमि को जरिये बैयनामा खरीद किया था जिसपर खरीद दिन से लेकर आजतक वादी काबिज काश्त है, मौके पर सरसों की खेती कर रखी है। वादी का नाम महेन्द्र शर्मा ही रहा लेकिन बैयनामा या नामान्तरण के समय में ही त्रुटि से महेन्द्रसिंह नाम दर्ज हो गया और उसी अनुरूप रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का नाम परिचयपत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड, वोटरलिस्ट व परिवार पहचान कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस सब में महेन्द्र शर्मा पुत्र ईशरराम निवासी 66 आरडी गंगाजली दर्ज रहा लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्रसिंह पुत्र ईशरराम ही दर्ज रहा अब सरकार की वित्तीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर गोर किया तो उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। वादी उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती अपने नाम महेन्द्रसिंह पुत्र ईशरराम की जगह राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्र शर्मा पुत्र ईशरराम दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादी ही काबिज कास्त है एवं समय—समय पर लगान एवं राजस्व वादी अदा करता रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र ईशरराम दर्ज होने से काफी परेशानियां हो गई है तथा भविष्य में और दिक्कतें ना आये न्यायहित में रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती आवश्यक है। वादी की खातेदारी भूमि चक 14 बीएलडी बी मु0नं0 94/38 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 3.6417 हैक्टर भूमि के रिकॉर्ड में वादी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र ईशरराम दर्ज हुआ है की जगह जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर वादी का आधार दस्तावेजी नाम महेन्द्र शर्मा पुत्र ईशरराम जाति ब्राह्मण निवासी 66 आरडी गंगाजली तहसील पूगल हाल चक 14 बीएलडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर खातेदार दर्ज करने के आदेश करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/वादी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड, मूलनिवास, राशनकार्ड, परिचय पत्र इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की जिनमें वादी का नाम महेन्द्र शर्मा ही अंकित है एवं ग्राम पंचायत गंगाजली की तस्दीक प्रस्तुत की जिसमें लिखा है कि महेन्द्र शर्मा पुत्र ईशरराम जाति ब्राह्मण निवासी 66 आरडी 25 वर्षो से निवासी है। महेन्द्र शर्मा व महेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र/वादपत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 14 बीएलडी बी मु0नं0 94/38 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 3.6417 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महेन्द्रसिंह की जगह महेन्द्र शर्मा संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच महेन्द्रसिंह नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का महेन्द्रसिंह नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम महेन्द्र सिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।
तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।
निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)